प्रेषक

जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 621 / 2021 / प्रशा. / अमरोहा, दिनांकितः 13.04.2021

विषयः दिनांक 13.04.2021 को जिला न्यायालय अमरोहा में एक कर्मचारी की कोविड–19 की जांच धनात्मक आने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13.042021 को जिला न्यायालय अमरोहा में एक कर्मचारी की कोविड–19 की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या– मुचिअ / कोविड–19 / 2021–22 / 5361 दिनांकित 13.04.2021 में यह अंकित किया गया है कि सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र / भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को 02 बार विसंकमित किया जाये। उक्त कारणों से जिला न्यायालय अमरोहा के मुख्यालय को दिनांक 14.04.2021 के लिए सेनेटाइजेशन कराने के लिए बन्द किया गया है।

अतः अनुरोध है कि पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

जिला न्यायाधीश,
अमरोहा।
13-4-21

DISTRICT JUDGE
AMROHA

संलग्नक– यथोक्त।

प्रेषक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा

सेवा में

मा0 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अमरोहा।

दिनाँकः—13.04.2021

पत्रांकः—मुचिअ / कोविड—19 / 2021—22 / 5361

विषयः—मा0 जिला न्यायालय परिसर अमरोहा में एक कर्मचारी मो0 इसरार कोविड—19 के एन्टीजेन टेस्ट में पॉजीटिव पाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग—5 के शासनादेश संख्या—902 / पाँच—5—2020 दिनाँकः—31.05.2020 के प्रस्तर—ग के बिन्दु संख्या—3 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार " यदि कार्यस्थल पर किसी कार्मिक में कोविड—19 के लक्षण पाये जाते हैं एवं जाँच में रिपोर्ट पॉजीटिव आती है तो उस कार्मिक से सम्बन्धित कार्य स्थल के प्रक्षेत्र / भवन को पूरी तरह से 24 घंटे के लिये बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को दो बार विसंक्रमित किया जायेगा। इसके साथ जो—जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क (एक मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क) में आये हों उनके आर0टी0पी0सी0आर0 टैस्ट कराकर धनात्मक पाये जाने पर होम आईसोलेशन अथवा चिकित्सालय में भर्ती किया जायेगा।"

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा।

पृ0सं0:— मुचिअ / कोविड—19 / 2021—22 /

तद्दिनाँक

प्रतिलिपिः—अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि मा0 जनपद न्यायालय परिसर को दो बार विसंक्रमित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः—डॉ0 गोपीलाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी अमरोहा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 जनपद न्यायालय परिसर को दो बार विसंक्रमित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा

Seen
D.J.
13-4-21